पं.रविशंर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 1781/अका./2004 रायपुर, दिनांक 30/9/2004

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.9.2004 को अपरान्ह 5 बजे कुलपति कक्ष में आहुत की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1.	प्रोफेसर बी.पी.चन्द्रा, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो.ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	प्रो. शैलेन्द्र सराफ	–	सदस्य
4.	प्रो.आर.पी.दास	–	सदस्य
5.	प्रो.जी.एल.मुंदड़ा	–	सदस्य
6.	प्रो.एच.व्ही.तिवारी	–	सदस्य
7.	प्रो.एम.ए.खान	–	सदस्य
8.	डॉ.कु.हेमलता मोहबे	–	सदस्य
9.	डॉ.ए.के बंसल	–	सदस्य
10.	डॉ.जी.डी.साव	–	सदस्य
11.	डॉ.उर्मिला रानी गुप्ता	–	सदस्य
12.	श्री भागवत चन्द्राकर	–	सदस्य
13.	श्री रमेश नैयर	–	सदस्य
14.	श्री.के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति ने नये सदस्यगण प्रो.एम.ए.खान, श्री रमेश नैयर, प्रो.एच.व्ही. तिवारी एवं डॉ.जी.बी.गुप्ता का कार्यपरिषद के सभी सदस्य की ओर से स्वागत किया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

कार्यवृत्त

1. **विषय क्र.–1 :** दिनांक 6.6.2004, 7.7.2004, 20.7.2004 तथा 27.8.2004 को संपन्न कार्यपरिषद की आपात बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

   निर्णय : दिनांक 27.8.2004 के कार्यपरिषद के कार्यवृत्त के विषय क्रमांक–2 के निर्णय में मुद्रण त्रुटि को सुधारकर निम्न वाक्य '' डॉ.रामनारायण बघेल का विश्वविद्यालय तकनीकि संस्थान में कार्यपालन संचालक का कार्य उनके मूल विभाग के कार्य के अतिरिक्त होगा'' को समाहित किया गया। उक्त त्रुटि सुधार के साथ दिनांक 6.6.2004, 7.7.2004, 20.7.2004 तथा 27.8.2004 को संपन्न कार्यपरिषद की आपात बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

2. **विषय क्र.–2 :** विश्वविद्यालय में कार्यरत उपयंत्री को सहायक यंत्री पद पर पदोन्नति प्रदान करने विषयक पदोन्नति समिति गठित करने के प्रकरण पर विचार करना।

   निर्णय : विश्वविद्यालय में रिक्त सहायक यंत्री के पद को पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया गया। पदोन्नति हेतु नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति के गठन के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

3. **विषय क्र. –3 :** लैब अटेन्डेनट के पद पर पदोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता में छुट प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

   निर्णय : इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अन्य नीति निर्देश के साथ अगामी कार्यपरिषद के बैठक में रखा जाय।

विषय क्र.–4 : वि.वि. के अध्ययनशालाओं को पूर्व में स्वीकृत विभागीय इंम्प्रेस्ट के राशि में वृद्धि करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : सर्व सम्मति से निर्णय किया गया कि अध्ययन शालाओं को पूर्व में स्वीकृत विभागीय इंम्प्रेस्ट की राशि रूपये 500 एवं 1000 में वृद्धि करते हुए क्रमशः 1500 एवं 3000 किया जाय।

5. विषय क्र.–5 : सामान्य प्रशासन विभाग को स्वीकृत विभागीय इंम्प्रेस्ट की राशि रू.3000 को बढ़ाये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन को पूर्व में स्वीकृत इंम्प्रेस्ट राशि रू.3000 को यथावत रखा जाय।

6. विषय क्र.–6 : छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 406/117/नि.नि./चार/03 दिनांक 19.5.2003 के अनुरुप विश्वविद्यालय में सेवारत विश्रामावकाश का उपभोग करने वाले शिक्षकों को अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पत्र में उल्लेखित अवकाश/सुविधाओं को यथावत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को स्वीकृत किया जाता है।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विषय–

7. विषय क्र.–7 : विश्वविद्यालय की स्थायी समिति की दिनांक 21.9.2004 को संपन्न बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

8. विषय क्र.–8 : विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, विनियम एवं अध्यादेश की अद्यतन संशोधित प्रतियां कार्यपरिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यथा शीघ्र इसका मुद्रण कराकर माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाय।

9. विषय क्र.–9 : कक्ष अधिकारी श्री टी.व्ही.दिवाकरण के कुलपति के सचिव पद पर पदोन्नति को निरस्त कर पदावनत किये गये प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : यह प्रकरण बहुत पुराना है अतः परीक्षण कर अभिमत देने हेतु निम्नलिखित दो सदस्यों की समिति गठित किया जावे।

1. प्रो.एम.ए.खान
2. प्रो.जी.एल.मुंदड़ा

समिति द्वारा प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत किया जाय ताकि प्रकरण कार्यपरिषद में पुनः विचारार्थ रखा जा सके।

10. विषय क्र.–10: सेवा निवृत शासकीय सेवकों की तरह विश्वविद्यालय सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों को भी चिकित्सा सुविधा का लाभ दिये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन से जानकारी एवं अभिमत प्राप्त कर सम्पूर्ण जानकारी के साथ कार्यपरिषद में विचारार्थ रखा जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव श्री के.के.चन्द्राकर द्वारा माननीय कार्यपरिषद के सभी सदस्यों को उनके पूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति